

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ईमेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/1044

दिनांक:- 25/03/26

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिंक न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	9807	अमित कुमार झालानी, सलेअ-II	उप कोषाधिकारी, (103393) कोष एवं लेखा विभाग, कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल जिला खैरथल-तिजारा	विभागीय आदेश क्रमांक 334 दिनांक 22.08.25 के द्वारा श्री दीपक यादव, सलेअ-II को दिये गये अतिरिक्त कार्यभार के स्थान पर

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभार देय होगा।

(संध्या शर्मा)
25/3/26

निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II/1044

दिनांक:- 25/03/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबंधित कोषाधिकारी
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदया।
4. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री/श्रीमतीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड II को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट से तत्काल अवगत करावें।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)